भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

 राज्‍य सभा

 तारांकित प्रश्‍न सं. \*155

23 मार्च, 2012 को उत्‍तरार्थ

**विषय: “फार्म-मार्केटिंग”**

\*155. श्री शादी लाल बत्रा:

**क्‍या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क)** क्‍या सरकार ने “फार्म-मार्केटिंग” के संबंध में किसी समिति का गठन किया है ;

**(ख)** यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और इसके निष्‍कर्ष क्‍या है; और

**(ग)** सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्‍य प्रदान किए जाने हेतु क्‍या-क्‍या कदम उठाए गए हैं ?

**उत्‍तर**

**कृषि मंत्री (श्री शरद पवार)**

**(क) से (ग):** विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

**तारांकित प्रश्‍न 155**

**फार्म मार्केटिंग के बारे में 23.03.2012 को उत्‍तर के लिए श्री शादी लाल बत्रा द्वारा राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं. 155\* के (क) से (ग) भागों के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण ।**

1. **और (ख) :**  कृषि विपणन में सुधारों की गति तीव्र करने के विषय में, कृषि मंत्रालय ने 2 मार्च, 2010 को कृषि विपणन के प्रभारी के रूप में राज्‍य मंत्रियों की एक शक्‍ति प्रदत्‍त समिति गठित की गई है ।

 समिति के विचारार्थ विषयों में (I) माडल कृषि उत्‍पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम और नियमावली को अपनाने के लिए कृषि विपणन में सुधारों को कार्यान्‍वित करने के लिए राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों का समझाना (ii) किसानों एवं उपभोक्‍ताओं के लाभ के लिए अवरोध मुक्‍त राष्‍ट्रीय बाजार उपलब्‍ध कराने के लिए आवश्‍यक अतिरिक्‍त सुधार सुझाना और (iii) बाजार सूचना को प्रभावी रूप से प्रचारित करने के लिए और कृषि उत्‍पाद की ग्रेडिंग, मानकीकरण, पैकेजिंग और गुणवत्‍ता प्रमाणन को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाना, शामिल है ।

 समिति ने बाजार सुधारों से संबंधित विभिन्‍न मुद्दों को विवेचित किया है और अपनी प्रथम रिपोर्ट 8 सितम्‍बर, 2011 को सरकार को प्रस्‍तुत कर दी है जिसे सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को आवश्‍यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है ।

(ग) सरकार कृषि लागत और मूल्‍य आयोग (सी ए सी पी) की सिफारिशों को ध्‍यान में रखते हुए दोनों फसल मौसमों में किसानों को लाभकारी मूल्‍य उपलब्‍ध कराने के लिए प्रत्‍येक वर्ष 25 मुख्‍य कृषि जिंसों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एम एस पी) घोषित करती है । न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य उस स्‍तर से नीचे गिरे बाजार मूल्‍यों के मामले में उनके उत्‍पाद के लिए सरकार द्वारा प्रस्‍तावित न्‍यूनतम गारंटित मूल्‍य है ।

 सरकार इन जिंसों के उत्‍पादकों के संरक्षण के लिए सामान्‍यत: खराब होने वाली प्रकृति की और मूल्‍य समर्थन स्‍कीम (पी एस एस) के अंतर्गत नहीं शामिल की गई बागवानी एवं कृषि जिंसों की अधिप्राप्‍ति के लिए बाजार हस्‍तक्षेप स्‍कीम (एमआईएस) भी पेश करती है । संकट बिक्री को टालने के विषय में बाजार हस्‍तक्षेप स्‍कीम राज्‍य सरकारों द्वारा अनुरोध करने पर कार्यान्‍वित की जाती है जब मूल्‍य लाभकारी स्‍तर/उत्‍पादन लागत से नीचे गिरने की ओर अग्रसर हों ।

 इसके अतिरिक्‍त, सरकार विपणन अवसंरचना सृजन, फसलों के भण्‍डारण और कटाई पश्‍चात प्रबंधन के लिए भी विभिन्‍न स्‍कीमें कार्यान्‍वित कर रही है, जिनमें से सभी किसानों को लाभकारी मूल्‍य सुनिश्‍चित करने में मदद करती हैं ।